

**राजा भोज विमानतल, भोपाल को आत्रजन चेक पोस्ट घोषित किया गया है****Declaration of Raja Bhoj Airport Bhopal as Immigration Check Post**

सरकारी राजपत्र अधिसूचना एफ. संख्या 25022/35/2010-इम, दिनांक 21 दिसंबर 2023 के माध्यम से राजा भोज विमानतल को आत्रजन चेक पोस्ट घोषित किया गया है। इस उपलब्धि से हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालने में सक्षम बनाया गया है और वैश्विक कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

Raja Bhoj Airport, Bhopal has been declared an Immigration Check Post vide Government Gazette Notification F.No. 25022/35/2010-Imm dated 21 December 2023. This milestone enabled the airport to handle international passengers and marked a significant step towards expanding its global connectivity.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122023-250792  
CG-DL-E-21122023-250792

वसाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 5171] नई दिल्ली, बुधवार, दिसंबर 21, 2023/अग्रहायण 30, 1945  
No. 5171] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2023/AGRAHAYANA 30, 1945

---

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2023

**का.अ. 5400(ब).**—केंद्रीय सरकार, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के उप-नियम (ख) के अनुसरण में एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमान पटन को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में नामोद्विष्ट करती है।

[फा. सं. 25022/35/2010-आप्र.]  
बी. सी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 21st December, 2023

**S.O. 5400(E).**— In pursuance of sub-rule (b) of rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules 1950, the Central Government hereby designates Raja Bhoj International Airport, Bhopal of Madhya Pradesh State as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India with valid travel classes documents for all classes of passengers.

[F. No. 25022/35/2010-Imm]  
B. C. JOSHI, Jt. Secy.

